

सेवा में,

उत्तरकाशी वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।

विषय :- जनपद-उत्तरकाशी के अन्तर्गत बडेथी से जोशीयाड़ा (0.147 है०) में ओ०एफ०सी० बिछाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ - 1-प्रस्ताव सं०-FP/UK/Others/31135/2018
2-ई०डी०एस० दि० 23.06.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में विषयगत प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण आख्या ऑनलाईन निम्नानुसार है -

S.No	Shortcomings	Report/Resolved
1	Village wise Break up not filled at section B-2.3 in form A, Part-I.	परियोजना में प्रस्तावित ओ०एफ०सी० बिछाने के समरेखण में कोई गाँव प्रभावित नहीं हो रहा है। अतः Village wise Break up की आवश्यकता नहीं है।
2	Provided component wise break up accordingly to layout plan in Form A, Part-I also upload the layout plan for the project in additional information Form A, part-I.	प्रस्तावित ओ०एफ०सी० लाइन की चौड़ाई 0.30 मी० है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग के समानान्तर बिछाया जाना प्रस्तावित है। जिसमें कोई गाँव प्रभावित नहीं हो रहा है। अतः Village wise Break up के साथ-साथ layout plan आवश्यकता नहीं है।
3	Please give reason why alternate route is not available in Form A, part-I.	प्रस्तावित ओ०एफ०सी० लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग के समानान्तर बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतः alternate route की आवश्यकता नहीं है।
4	User agency may review the information filled at para-E of online Part-I regarding employment likely to be generated is wrongly filled.	प्रस्तावित परियोजना में ऑनलाईन अंकित मानव दिवसों के अनुसार ही मानव दिवस सर्जित होंगे। जिस भाग-1 के para-E में employment generated में ऑनलाईन अपलोड किया गया है।
5	FRA incomplete uploaded, please upload complete FRA and the user agency may do necessary correction and provide VLC proceedings for each village separately with separate attendance sheet alongwith FRA according to filled details in B-2.3 village wise break up.	प्रस्तावित परियोजना में कोई गाँव प्रभावित नहीं हो रहा है। अतः VLC Proceedings की आवश्यकता नहीं है।
6	Other documents uploaded in the place of justification. Please upload justification at para-D(i) in form A, part-I authenticated by DFO.	प्रस्तावित परियोजना से होने वाले लाभ को justification में अंकित कर प्रभागीय वनाधिकारी से हस्ताक्षरित कर भाग-1 के para-D(i) में ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।

अतः आख्या ऑनलाईन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

